ORDER SHEET

THE COURT_____

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
आरक्षी 22.07.2023	राज्य द्वारा एडीपीओं उपस्थित। अभियुक्तगण सहित श्री बी एल मीना अधिवक्ता उपस्थित।। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। प्रकरण के इसी स्तर पर फरियादी जीतेन्द्र पिता मंटीलाल मीना स्वयं उपस्थित। फरियादी फरियादी जीतेन्द्र पिता मंटीलाल मीना ने प्रकट किया है कि वह अभियुक्तगण से राजीनामा करना चाहता है। उभयपक्ष से चर्चा उपरांत प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण के पक्षकार आपकी बात को लेकर उनके मध्य विवाद है और प्रकरण में राजीनामा के आधार पर निराकरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उभयपक्ष द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा की चर्चा हेतू सहमति व्यक्त की और उन्हें मध्यस्थता की सामान्य जानकारी दी गई। उभयपक्ष से चर्चा उपरांत प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण के पक्षकार आपकी बात को लेकर उनके मध्य विवाद है और प्रकरण में राजीनामा के आधार पर निराकरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उभयपक्ष द्वारा मध्यस्थता के माध्मय से राजीनामा की चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की और उन्हें मध्यस्थता की सामान्य जानकारी दी गई। उभयपक्ष के मध्य परिचर्चा हेतु मीडिएशन सेंटर राघौगढ में रेफर किया जाना उचित होगा, इस हेतु प्रकरण के फरियादी/आहत एवं आरोपीगण को इस न्यायालय के प्रवर्तन लिपिक के साथ मीडियेशन कार्यवाही एवं परिचर्चा हेतु तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, राघौगढ़ के न्यायालय मे भेजा जाता है। प्रकरण मीडिएशन पर परिचर्चा हेतु अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण राघौगढ़ के न्यायालय में पेश हो। प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु थोडी देर पश्चात पेश हो। (हर्षवर्धन रावत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ जिला गुना म.प्र. पुनश्चः– प्रकरण मीडियेशन उपरांत मीडियेशन सफल होने की रिपोर्ट सहित प्राप्त।	

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

उभयपक्ष पूर्ववत।

इसी स्तर पर अभियुक्तगण व फरियादी जीतेन्द्र पिता मंटीलाल मीना की ओर से अधिवक्ता श्री बी एल मीना ने उपस्थित एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (1) व (2) दण्ड प्रकिया संहिता का प्रस्तुत किया गया । फरियादी व आहत व अभियुक्तगण की पहचान बी एल मीना की गयी।

<u>इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (1) व (2) दण्ड प्रकिया संहिता का निराकरण किया जा रहा हैः–</u>

फरियादी जीतेन्द्र पिता मंटीलाल मीना की ओर से आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त एवं फरियादी व आहत के मध्य न्यायालय के बाहर समझौता हो गया है। अतः समझौते की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

पप्रकरण के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर अधिरोपित धारा 294, 325/34 तथा 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप अधिरोपित होकर विचारणीय है। अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का हैं। फरियादी द्वारा व्यक्त किया कि अभियुक्तगण और उनके मध्य अब कोई विवाद नहीं है और वह स्वेच्छया पूर्वक बिना भय दबाब के अभियुक्तगण से राजीनामा करना चाहता है। प्रकरण में फरियादी रामबाबू पिता गोमा बंजारा राजीनामा करने हेतु समक्ष पक्षकार है। राजीनामा की अनुमति हेतु आवेदन स्वेच्छया पूर्वक प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। अतः बाद विचार उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध स्थापित रहे इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन स्वीकार कर उक्त अपराध का शमन करने हेतु फरियादी पक्ष को अनुमति प्रदान की जाती है।

फरियादी जीतेन्द्र पिता मंटीलाल मीना के राजीनामा कथन अंकित किये गये।

उभयपक्ष से पूछताछ करने पर उनके मध्य राजीनामा स्वेच्छया पूर्वक बिना भय दबाव के होना प्रकट हेाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख से पूर्व दोषिसिद्ध अभियोजित दर्शित नहीं होती है। अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का हैं। फरियादी जीतेन्द्र पिता मंटीलाल मीना अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं और उसे प्रकरण में शमन करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अतः बाद

विचार आवेदन पत्र अंतर्गत स्वीकार कर शमन के आधार पर अभियुक्तगण को **धारा 294, 325/34 तथा 506 भाग–2** भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किया जावे।

	प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति निरंक है। अभियुक्तगण द्वारा निरोध में भोगी गई अवधि हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन समायोजन प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे, जो निर्णय का भाग होगा। प्रकरण का परिणाम विधिवत् पंजी में दर्ज कर नियमानुसार अभिलेखागार भेजा जावे। HARSH VARDHAN RAWAT Digitally signed by HARSH VARDHAN RAWAT Date: 2023.07.22 15:05:14 +0530	